PMAY-U की नई पूरक योजनाएँ

प्रिलिम्स के लिये:

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, **GHTC इंडिया,** अंगीकार अभियान, महिला सशक्तीकरण

मेन्स के लिये:

PMAY-U की विशेषताएँ, बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित सरकारी पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में **शहरी गरीबों द्वारा सामना की जाने वाली आवास संकट की समस्या का समाधान करने हेतु** एक **नई योजना** का उल्लेख किया।

- यह नई योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी पहल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban- PMAY-U) की पूरक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

- **परिचय**:
    - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्त्वावधान में क्रियान्वित **प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी** का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बीच शहरी आवास की कमी का समाधान करना है।
    - इस मिशन के तहत **वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को "पक्के" (टिकाऊ और स्थायी) घर उपलब्ध कराना है।**
        - इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये **फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति** में बदलाव किये बिना सभी स्वीकृत घरों के निर्माण का कार्य पूरा करने हेतु **इस योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।**
- **लाभार्थी: यह मिशन झुग्गीवासियों/स्लम सहित EWS/LIG और MIG श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है।**
    - **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS)-** अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,00 रुपए।
    - **निम्न आय समूह (Low Income Group- LIG)-** अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 6,00,000 रुपए।
    - **मध्यम आय समूह (Middle Income Groups- MIG I & II)-** अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 18,00,000 रुपए।
        - लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियाँ शामिल होंगी।
- **PMAY-U के घटक:**
    - **इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (In-situ Slum Redevelopment- ISSR):** ISSR कार्यक्रम निजी डेवलपर्स के सहयोग से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए पुनर्विकास के दौरान योग्य स्लम निवासियों के लिये प्रति आवास 1 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।
        - राज्यों/शहरों के पास इस केंद्रीय सहायता को अन्य स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिये आवंटित करने की छूट है।
    - **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme- CLSS):** यह योजना EWS/LIG, मध्यम आय समूह (MIG)-I और MIG-II के लाभार्थियों को आवास खरीदने, निर्माण करने या विस्तार के लिये आवास ऋण की मांग को करने में सहायता करता है।
        - **व्यक्ति ये लाभ उठा सकते हैं:**
            - 6 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी।
            - 9 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 4% की ब्याज सब्सिडी।
            - 12 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 3% की ब्याज सब्सिडी।
        - **आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)** और **भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India- SBI)** नामित केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ (CNAs) हैं जो ऋण संस्थानों के माध्यम से सब्सिडी देने तथा प्रगति की निगरानी के लिये ज़िम्मेदार हैं।
    - **अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP):**

- AHP के तहत भारत सरकार द्वारा **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)** के प्रत्येक परिवार को आवास के लिये **1.5 लाख रुपए** की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- किफायती आवास परियोजनाओं (Affordable Housing Projects) में विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन वे केवल तभी केंद्रीय सहायता के लिये योग्य हैं जब इनमें **कम-से-कम 35% आवास EWS श्रेणी के लिये हों।**
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिये EWS घरों की बिक्री मूल्य पर ऊपरी सीमा निर्धारित की है।

◦ **लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन (BLC-N/ BLC-E):**
- योग्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के परिवारों को **घरों के निर्माण व सुधार के लिये केंद्रीय सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए तक प्रदान किये जाते हैं।**
- शहरी स्थानीय निकाय भूमि के स्वामित्व, आर्थिक स्थिति और पात्रता की पुष्टि के लिये लाभार्थी की जानकारी और भवन योजना का सत्यापन करते हैं।

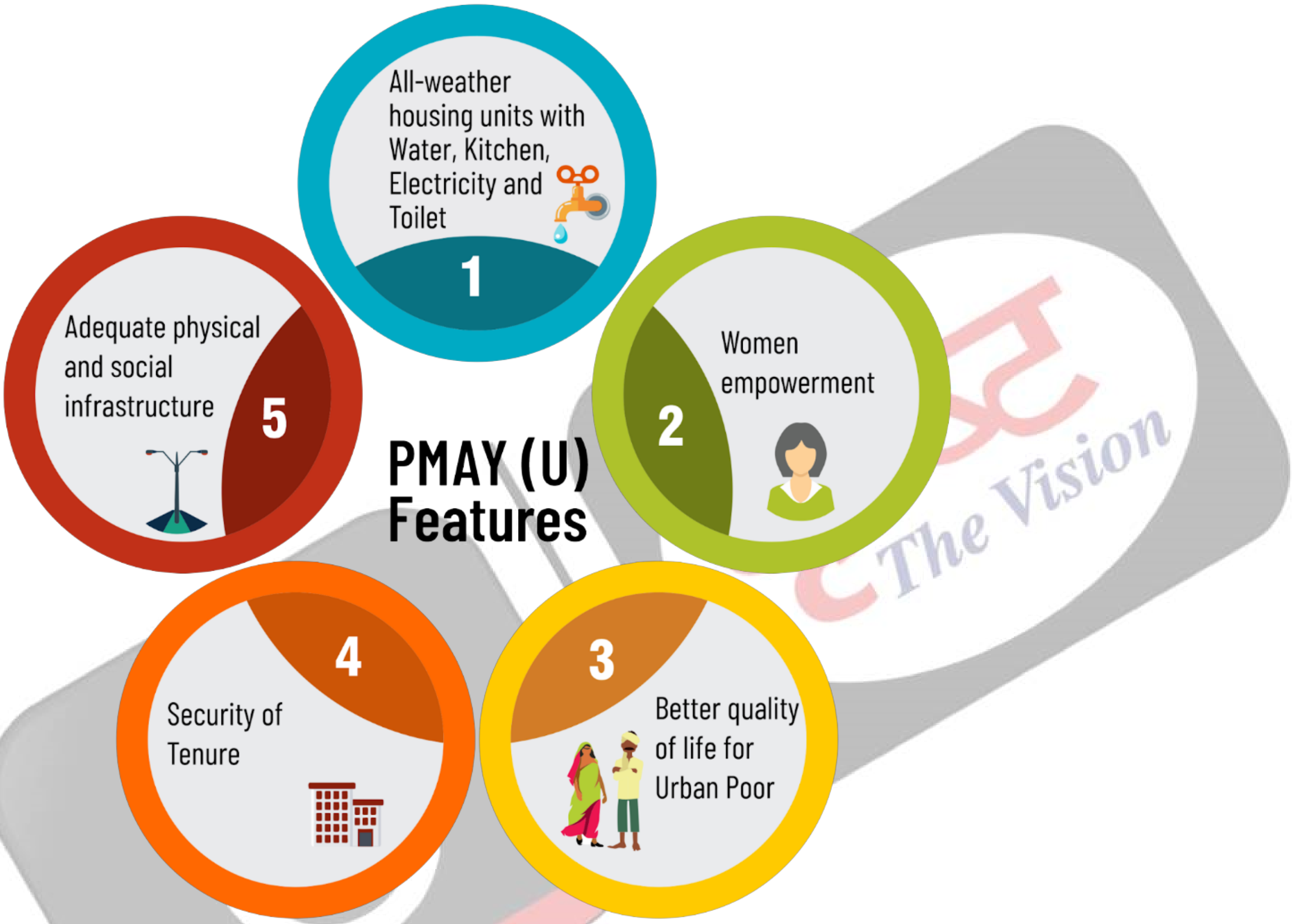

//

नोट: PMAY-U महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।

- **प्रगति:**
  - नवीनतम अपडेट के अनुसार, **PMAY-U पहल के तहत कुल 118.9 लाख घर बनाए जा चुके हैं,** जिनमें से 76.25 लाख घरों में लोग रह रहे हैं।
- **संबंधित पहल:**
  - **किफायती किराये के आवास परिसर (ARHCs):** MoHUA ने PMAY-U के अंतर्गत एक उप-योजना ARHCs प्रारंभ की है।
    - इससे **शहरी प्रवासियों/औद्योगिक क्षेत्र के गरीबों के साथ-साथ गैर-औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों को आसानी** होगी और उन्हें अपने कार्यस्थल के समीप ही किफायती किराये के आवास तक पहुँच प्राप्त होगी।
  - **अंगीकार अभियान**: यह सामुदायिक गतिशीलता और IEC गतिविधियों के माध्यम से PMAY-U लाभार्थियों के लिये जल और ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसी **सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित** है।

    - यह अभियान औपचारिक रूप से **150वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्तूबर, 2019 को शुरू** किया गया था।

- **GHTC इंडिया:** MoHUA ने **ग्लोबल हाउसगि टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया (GHTC इंडिया) की शुरुआत** की है, जिसका **उद्देश्य आवास नरि्माण क्षेत्र के लयि वशि्व स्तरीय नवीन नरि्माण प्रौद्योगकियों की पहचान करके इसे मुख्यधारा में लाना** है जो टकािऊ, पर्यावरण-अनुकूल और आपदा-लचीली हो।

स्रोत: द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-scheme-to-complement-pmay-u